

राजस्थान-सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता), जैसलमेर

क्रमांक : आ.प्र.एवं सहा./बाढ़/2020/ 7109

दिनांक:- 21.08.2020

प्रेषित :-

श्रीमान् शासन सचिव,
आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग,
राजस्थान, जयपुर।


विषय:-मानसून वर्ष 2020 के दौरान बाढ़ बचाव हेतु जिला बाढ़ नियंत्रण कक्ष पर
तैनात किये गये स्वयं सेवकों के मानदेय के लिए बजट आवंटन बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक 8369-73 दिनांक 12.06.2020 के द्वारा मानसून के दौरान बाढ़ बचाव टीम को दिनांक 15 जून से 30 सितम्बर तक जिला बाढ़ नियंत्रण कक्ष में लगातार 24 घण्टे (Round the clock) उपलब्ध रखे जाने हेतु नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों को नियोजित करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। उक्त निर्देशों की पालना में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 319-23 दिनांक 30.06.2020 द्वारा 12 प्रशिक्षित नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों को मानसून के दौरान बाढ़ बचाव एवं सुरक्षा के लिए तैनात किया गया। उक्त 12 प्रशिक्षित स्वयं सेवकों को दिनांक 01.07.2020 से 31.07.2020 तक की अवधि का मानदेय राशि रूपये 2,11,220/- का भुगतान किया जाना है।

अतः कृपया उक्त भुगतान करने के लिए बजट मद 2245-02-106-08-02 उपमद 18 में राशि रूपये 2,11,220/- का बजट आवंटित करने का श्रम करावें।

सलग्न :- उपरोक्तानुसार।


(आशीष मोदी)
जिला कलक्टर
जैसलमेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय नियंत्रक (कलक्टर) नागरिक सुरक्षा जैसलमेर
दिनांक 07-08-2020

कमांक 403

प्रेषित:- श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर (सहायता)
जैसलमेर

विषय:- बाढ नियंत्रण कक्ष में तैनात नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवको की भुगतान के कम में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि इस कार्यालय के नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवक बाढ नियंत्रण कक्ष में तैनात 12 स्वयं सेवको की उपस्थिति दिनांक 01-07-2020 से 31-07-2020 तक की तैयार कर एवं स्वयं सेवको के खाता संख्या व आईएफएससी कोड की जाँच कर मय भुगतान पत्र तैयार कर उपस्थिति का प्रमाणिकरण कर भुगतान हेतु भिजवाई जा रही है । अतः भुगतान कराने का श्रम करावे ।
संलग्न:- तीन

भवदीय

उप नियंत्रक

नागरिक सुरक्षा जैसलमेर


Retind.

7/8/20

कार्यालय नियंत्रक (कलक्टर) नागरिक सुरक्षा जैसलमेर (राज0) से 31-7-2020)

बाढ बचाव में तैनात स्वयं सेवकों को देय मानदेय की गणना (दिनांक 01-7-2020 देय मानदेय 590 /-प्रति

क.सं	स्वयं सेवक का नाम	सदस्य संख्या	माह जुलाई	कुल योग उपस्थिति	दिवस
1	श्री राजेन्द्र कुमार	81	31	31	18290
2	" हेमराज	384	31	31	18290
3	" देवेन्द्र सिंह	890	30	30	17700
4	" देवी सिंह	898	31	31	18290
5	" शेषकरण	251	31	31	18290
6	" जितेन्द्र सिंह	349	31	31	18290
7	" महेन्द्र सिंह	262	31	31	18290
8	" मुकेश कुमार	914	31	31	18290
9	" शिवदान सिंह	912	31	31	18290
10	" शैतान सिंह	353	30	30	17700
11	" कोज राम	892	31	31	18290
12	" बाग सिंह	864	04	04	2360
13	" प्रेम सिंह	830	15	15	8850
	योग:-		358	358	211220


 उप नियंत्रक

नागरिक सुरक्षा जैसलमेर

एपि/संस्था

उपनियंत्रक प्रहारा
12/6/20

बाढ़ अतिआवश्यक

128

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

पत्रांक: एफ.8(1) आ.प्र.एवं सहा/बाढ़/2020/8369-73

जयपुर, दिनांक 12-6-2020

समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान।


विषय :- मानसून के दौरान बाढ़ बचाव हेतु जिला बाढ़ नियंत्रण कक्ष (EOC) पर नागरिक सुरक्षा बाढ़ बचाव टीम तैनात रखने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत मानसून वर्ष 2020 में बाढ़ की संभावना को देखते हुए जिलों में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की बाढ़ बचाव टीम को दिनांक 15 जून से 30 सितम्बर तक जिला बाढ़ नियंत्रण कक्ष (EOC) में लगातार 24 घण्टे (Round the Clock) उपलब्ध रखा जाता है, जिससे कि जब कभी भी आवश्यकता हो इनसे बाढ़ बचाव का कार्य लिया जा सके।

अतः प्रशिक्षित नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की बाढ़ बचाव टीम को उपरोक्त अवधि के लिए नियोजित करने एवं टीम में आवश्यकतानुसार सदस्य रखने हेतु जिला कलक्टरों को अधिकृत किया जाता है।

इस संबंध में जिले के उप नियंत्रक/सहायक नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा से सम्पर्क कर बाढ़ बचाव टीम नियोजित करावें। बाढ़ बचाव में प्रशिक्षित स्वयंसेवकों का उक्त तैनाती में प्राथमिकता दी जावे। जिला कलक्टरों द्वारा इन टीमों में तैनात किये जाने वाले स्वयं सेवकों को इस अवधि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय के अनुसार "आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के बाढ़ राहत मद" से किया जायेगा। इन टीमों को आवश्यकता पड़ने पर वाहन व अन्य आवश्यक साजो सामान/उपकरण भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जावे।

भवदीय

शासन सचिव

प्रतिलिपि :- आवश्यक कार्यवाही एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
2. समस्त नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा, राजस्थान।
3. उप निदेशक, नागरिक सुरक्षा, राज0 जयपुर।
4. समस्त उप नियंत्रक/सहायक नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा राजस्थान।

संयुक्त शासन सचिव

कार्यालय नियंत्रक (कलक्टर) नागरिक सुरक्षा जैसलमेर
कमाक/ना.सु./प्रशि../जैसल/20/319-23 दिनांक 30.06-20

कार्यालय आदेश

निदेशालय नागरिक सुरक्षा राज0 जयपुर के पत्रांक 4549-93 दिनांक 12-06-2020, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के पत्रांक 8369-73 दिनांक 12-6-2020 की पालना में सम्भावित बाढ को देखते हुए मानसून 2020 के तहत जिला मुख्यालय पर बाढ नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जाने के फलस्वरूप बाढ नियंत्रण कक्ष में बाढ बचाव टीम (कुल 12 स्वयं सेवक 4-4-4 की टीम में राउण्ड कॉलक) हेतु इस कार्यालय के निम्न लिखित नागरिक सुरक्षा के प्रशिक्षित स्वयं सेवको को दिनांक 01-07-2020 से 31-07-2020 तक 24 घण्टे हेतु कमाश: प्रथम पारी,द्वितीय पारी एवं तृतीय पारी हेतु तैनात किया जाकर आदेशित किया जाता है कि अपनी उपस्थिति श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर (सहायता) महोदय जैसलमेर को देवे। ड्यूटी पर तैनात स्वयं सेवको के नियमानुसार मानदेय भुगतान जिला कलक्टर (सहायता) शाखा जैसलमेर से किया जावेगा ।

प्रथम पारी प्रातः 06.00 से 14.00 बजे				वि.वि.
क.सं.	नाम सदस्य	सदस्य नं.	मो0न0	
1	श्री राजेन्द्र कुमार अवस्थी	81	9414206059	तैराक (टीम प्रमारी)
2	" हेमराज	384	9511533963	तैराक
3	" देवेन्द्र सिंह	810	9602039709	
4	" देवी सिंह	898	9982313726	
द्वितीय पारी 14.00 से 22.00 बजे तक				
5	श्री शेषकरण	251	9950054449	तैराक
6	" जितेन्द्र सिंह	349	7568455654	तैराक
7	" महेन्द्र सिंह	262	9784659929	
8	" मुकेश कुमार	914	8094277419	
तृतीय पारी 22.00 से 06.00 बजे तक				
9	श्री शिवदान सिंह	912	9414761172	तैराक
10	" शैतान सिंह	253	9680270848	तैराक
11	" कोज राम	892	9928009078	
12	" बाग सिंह	864	7792803005	

नोट:-

- 1.बाढ ड्यूटी के दोहरान बिना सक्षम अधिकारी के ड्यूटी पाइन्ट नही छोडेगे और अनुपस्थिति नही हगे
- 2.बाढ ड्यूटी पर अपनी गणवेश (नीली वर्दी) में ड्यूटी करेगे व ड्यूटी के दौरान कोई भी सदस्य सोते हुए नही पाया जायेगा ।
- 3.यदि बाढ ड्यूटी से अनुपस्थित होता है तो दो दिवस पहले अपना प्रार्थना पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करेगा ।
- 4.उक्त निर्देशो की सख्ती से पालना कि जाये,निर्देशो की अवहेलना कि गई तो नागरिक सुरक्षा के अधिनियम के तहत कार्यवाही की जायेगी

(नमित्त मेहता)
नियंत्रक (कलक्टर)
नागरिक सुरक्षा जैसलमेर

26/6/2020

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूख्जार्था :-

1. श्रीमान जिला कलक्टर (सहायता) महोदय जैसलमेर ।
2. श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय जैसलमेर ।
3. श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर (सहायता) महोदय जैसलमेर ।
4. भण्डारपाल कार्यालय हाजा को दी जाकर लेख है कि बाढ बचाव के काम में आने वाले उपकरण/समाग्री बाढ बचाव टीम को उपलब्ध करा कर प्राप्ति रसीद प्राप्त करे ।
5. सम्बधित सदस्य ।

(दिनेश विश्वा)
उप नियंत्रक
नागरिक सुरक्षा जैसलमेर